International Journal of Multidisciplinary Research and Development
Online ISSN: 2349-4182, Print ISSN: 2349-5979
Impact Factor: RJIF 5.72
www.allsubjectjournal.com
Volume 4; Issue 11; November 2017; Page No. 216-218

सीधी जिले में कृषकों को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से प्राप्त वित्तीय सहायता का अध्ययन

डॉ० प्रभाकर मिश्र
अतिथि विद्वान अर्थशास्त्र, शासकीय महाविद्यालय रामपुर नैकिन जिला सीधी, मध्य प्रदेश, भारत।

सारांश
विश्व के अन्य देशों में ग्रामीण जीवन के अध्ययन की दिशा में जो कार्य किये है, उनमें भारत भी अछूता नही है। भारत में 1947 के बाद गाँवों की प्रगति की ओर विशेष ध्यान दिया गया, इस बात का अनुभव किया गया कि ग्रामीण प्रगति के बिना राष्ट्रीय प्रगति सम्भव नहीं है। इसके अतिरिक्त अनेक अर्थशास्त्रियों ने अपने अध्ययनों को ग्रामीण पृष्ठभूमि में केन्द्रित किया, उन्ही प्रयासों के फलस्वरूप भारत में ग्रामीण विकास की रूपरेखायें निर्मित हुई और उनके अध्ययन पर बल दिया जाने लगा। योजना आयोग के अनेक प्रकाशन ग्रामीण जीवन की विभिन्न परिस्थितियों के ऊपर प्रकाश डाला है। पंचवर्षीय योजनाओं की सफलता के लिए भी ग्रामीण जीवन के विविध पहलुओं का विवेचन आवश्यक हो गया है की जिन योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है उनका मूल्यांकन किया जाए।

शब्द कुंजी : सीधी जिला, कृषक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक।

प्रस्तावना
भारतीय संसद द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास हेतु भारतीय कृषि व्यापार, वाणिज्य, उद्योग एवं अन्य उत्पादक गतिविधियो तथा ग्रामीण क्षेत्रों में साख सुविधा का विकास करने, विशेषकर लघु एवं सीमान्त कृषकों, कृषिगत मजदूरों, ग्रामीण शिल्पियो, खुदरा व्यापारियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने, इनके जीवन स्तर में सुधार लाने की दृष्टि से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 की व्यवस्था की गई जो 26 सितम्बर 1975 से सम्पूर्ण भारत में प्रभावशील हो गई।[1]

संस्थागत वित्त की अपर्याप्त उपलब्धि, किसानों को देशी महाजनों के शिकंजों से पूर्ण मुक्ति दिला पाने में असफल होने की वजह से किसानों को परम्परागत ऋण व्यवस्था से छुटकारा दिलाने के लिए सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की।[2] इसके पीछे मूल उद्देश्य यह है कि ग्रामीण बैंक समूह को बैक सेवाएँ उपलब्ध करेंगे। बैंक छोटे किसानो[3], ग्रामीण कारीगरों और सामान्य वर्ग के व्यापारियों एवं उत्पादनों के लिए ऋण की व्यवस्था करेंगे और बैंक सेवाएँ उपलब्ध करेंगे।

ये बैंक ग्रामीण जीवन के समस्त क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं एवं स्थानीय लोगों को भावनाओं तथा ग्रामीण समस्याओं के परिचय के साथ–साथ व्यवसाय संगठन के गुण जमा की गतिशीलता के लिए ग्रामीण अंचल में प्रोत्साहन को भावना जागृत करने आदि का कार्य करते है, जो व्यापारिक बैंक करते है।[4–5] इनका प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में न केवल कृषि वरन् उद्योग, व्यापार, वाणिज्य आदि का समुचित विकास करना है।[6–8]

शोध का क्षेत्र
भारत के हृदय स्थल मध्यप्रदेश के पूर्वोत्तर में विन्ध्य उपाधिकाओं के बीच सीधी जिला स्थित है। प्रारंभ में यह सिद्धी सम्प्रदाय के शासको द्वारा शासित रहा। सीधी प्राचीनकाल में शैव साधकों की शरणास्थली रहा। इस बात की पुष्टि चुरहट स्थित सन्यासियों की कोठी, यहाँ के पुरातत्व, वास्तुशिल्प एवं प्राचीन मंदिर इस मूर्तियों के द्वारा होती है।

कालान्तर में यह क्षेत्र चौहानों के अधीनस्थ रहा, जो कुछ काल तक स्वतन्त्र एवं बाद में रीवा राज्य के बघेल शासकों के अधीन रहकर शासन करते रहे। 1 अप्रैल 1949 तक यह जिला बघेलखण्ड रियासत के अन्तर्गत था एवं रियासतों के विलीनीकरण के पश्चात विंध्यप्रदेश के अन्तर्गत हो गया। 1 नवम्बर 1956 में राज्य के पुर्नगठन के फलस्वरूप मध्यप्रदेश राज्य का निर्माण हुआ, तो यह जिला मध्यप्रदेश के रीवा संभाग का एक जिला हो गया। यहाँ सोनभद्र नदी एवं बनास नदी के संगम स्थल पर भमरसेन के निकट चन्दरेह में प्राचीन शिव मंदिर है, जो 5 वीं सदी का है। इसकी वास्तुकला अद्वितीय है। इसके साथ ही एक प्राचीन शिव मंदिर है, जो 5 वीं सदी का है। इसकी वास्तुकला अद्वितीय है। इसके साथ ही एक प्राचीन शिवमठ है जो उस समय का धार्मिक, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का केन्द्र था। इसके अतिरिक्त यहाँ लुरघुटी का किला, बढ़ौरा का शिव मन्दिर एवं कलचुरि का विश्राम गृह दर्शनीय है।

सीधी जिला मध्यप्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग $23^0 47'$ तक $24^0 42'$ तक उत्तरी अक्षांश और $81^0 18'$ से $82^0 40'$ तक पूर्वी देशान्तर में स्थित है। जिले की पूर्व से पश्चिम की लम्बाई 155 कि.मी. तथा उत्तर से दक्षिण 95 कि.मी. है। इसका कुल क्षेत्रफल 10532 वर्ग कि.मी. है। जिले के पूर्व में सिंगरौली, दक्षिण–पश्चिम में शहडोल, सतना दक्षिण में छत्तीसगढ़ का कोरिया जिला तथा उत्तर में रीवा जिला स्थित है।

तापमान, वर्ष एवं जलवायु
सीधी जिले का अधिकतम तापमान मई जून से 45.46^0 से0 तथा न्यूनतम तापमान माह दिसम्बर–जनवरी में 5^0 से0ग्रे0 तक रहता है। जिले मे औसत वर्षा 950 मिलीमीटर से 1250 मि0मी0 तक होती है। जिले की जलवायु सामान्यतः समशीतोष्ण है। ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी तथा शीत ऋतु में अधिक सर्दी पड़ती है।[9–10]

नदी, पहाड़ एवं मिट्टी
जिले की सबसे बड़ी नदी सोन है। बनास, गोपद एवं रिहन्द इसकी सहायक नदियाँ हैं। ये समस्त नदिया सोन, बेसिन के अन्तर्गत आती हैं। जिले के मैदानी भागों की मिट्टी उपजाऊ है, किन्तु पर्वतीय क्षेत्र की मिट्टी कम उपजाऊ तथा हल्के किस्म की है।

शोध के रूप में सीधी जिले को चुना है। सीधी जिला विभिन्न दृष्टिकोण से ग्रामीण भारत की सही तस्वीर प्रस्तुत करता है। यहाँ की कृषि की समस्यायें सारे देश की वृहद समस्याओं को समझने के लिए एक सूक्ष्म परिप्रेक्ष्य उपलब्ध करती है। सीधी जिले की कृषि वित्त की समस्या मूल रूप से सारे मध्यप्रदेश और भारतवर्ष की कृषि वित्त की स्थिति का आंकलन करने हेतु उपयुक्त आधार प्रस्तुत करता है।

आंकड़ों का संकलन

आंकड़ों का संकलन एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आंकड़े ही शोध प्रविधि की आधारशिला हैं। यदि संकलित आंकड़े, अशुद्ध अपर्याप्त होते है तो निकाले गये निष्कर्ष भ्रमात्मक होंगे। फलतः आंकड़ों के संकलन में सतर्कता एवं सावधानी बरतना अत्यन्त आवश्यक है।

आंकड़ों का संकलन मैंने सभी बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त किया है। आंकड़ों का संकलन करते समय पक्षपात की भावना को दूर रखने का हर सम्भव प्रयास किया है ताकि आंकड़े, प्रमाणिक, परिशुद्ध तथा विश्वसनीय रहें।

रीवा सीधी ग्रामीण बैंक सीधी द्वारा प्रदत्त कृषि वित्त का सीधी जिले का प्रभाव

जिले की अर्थव्यवस्था में कृषि वित्त के प्रभाव को निम्न आधारों पर प्रकट किया जा सकता है–

अठारहवी शताब्दी देश में अधिकांश गाँव स्वावलम्बी इकाई के रूप में विद्यमान थे और लगभग आधे से अधिक जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर थी, औद्योगिक विकास के परिणामस्वरूप धीरे–धीरे वैकल्पिक, व्यवसायों का ह्रास होने लगा[6] जिसमें निर्भरता का प्रतिशत क्रमशः घटने लगा।

भारतीय कृषि 60 प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार देती है, जिले के 80 प्रतिशत व्यक्ति गाँवों में निवास करते हैं, जो कृषि पर निर्भर है। इस प्रकार स्पष्ट है कि जिले के निवासियों की जीविका का प्रमुख स्त्रोत कृषि ही है।[6–8]

सुकरात के शब्दों में – "कृषि के फलते–फूलते समय में ही उद्योग का विकास सम्भव हो पाया है।"

तात्पर्य यह है कि औद्योगिक विकास में कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। एक तरफ कृषि प्रमुख उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चे माल उपलब्ध कराती है, वहीं दूसरी तरफ उद्योगों के द्वारा निर्मित वस्तुओं का क्रय करने के लिए क्रय शक्ति उपलब्ध कराती है। कपड़ा, कागज, चीनी, जूट, काफी, चाय, वनस्पति, घी आदि उद्योग कच्चे माले के लिए प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। किसान सहकारी चीनी मिल सफलतापूर्वक संचालित होती है, जिन्हें कच्चा माल गन्ना कृषि से ही उपलब्ध होता है।

राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान अधिक होने के कारण देश में कृषि की प्रधानता है। अपने देश में कृषि को प्रमुख व्यवसाय के रूप में स्वीकार किया गया है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है।[7] ऐसीस्थिति में यह स्वाभाविक है कि देश की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान अधिक है।

जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि होने के कारण खाद्यान्नों की मांग भी बढ़ती जाती है। खाद्यान्नो की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति का दायित्व कृषि क्षेत्र पर ही है। कृषि कार्य सफलतापूर्वक सम्पादित करने में रीवा सीधी ग्रामीण बैंक सीधी द्वारा प्रदत्त कृषि साख का महत्वपूर्ण योगदान है। वर्तमान समय में देश एवं प्रदेश में खाद्यान्नों की शत–प्रतिशत पूर्ति कृषि द्वारा ही की जा रही है।

सर्वाधिक भूमि का उपयोग

सीधी जिला ही नही वरन् पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था की कृषि प्रधान है फिर भी भारतीय कृषि निश्चितता का अधार नहीं प्राप्त कर सकी। फलतः भारतीय कृषि को मानसून का जुआँ कहा जाता है। जब किसी वर्ष मानसून ठीक समय पर व पर्याप्त मात्रा में आ जाता है तो कृषि उत्पादन पर्याप्त मात्रा में होने से सरकार को करों व शुल्क के रूप में पर्याप्त आय प्राप्त होती है जिससे बजट संतुलित रहता है। इसके विपरीत जब मानसून समय से सक्रिय नहीं होता तो बजट अस्त व्यस्त हो जाता है जिससे सरकार को घाटे के बजट का सहारा लेना पड़ता है।

सीधी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में रीवा सीधी ग्रामीण बैंक के कारण, सरलता सेसाख की आपूर्ति होने के कारण प्रचलित ब्याज की दर कम होती गयी है। बैंक द्वारा कृषि वित्त होने के परिणामस्वरूप सिंचाई सुविधाओं में विस्तार हो जाने के कारण कृषकों की आय में स्थिरता व इनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है। ग्रामीण बैंक द्वारा उपलब्ध कराये गये कृषि साखों के आधार पर हरित क्रान्ति के विचार को प्रभावी ढंग से साकार किया जा सकेगा।

रीवा सीधी ग्रामीण बैंक सीधी निर्धन वर्ग को कृषि विकास एवं जीवनयापन हेतु कोई धन्ध प्रारंभ करने के लिए ऋण देने के लिए कृत संकल्प है जिससे आर्थिक विषमता को कम करने के साथ ही साथ देश का तीव्रता से आर्थिक विकास संभव होगा। जिले की कृषि का अन्य आर्थिक क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण योगदान है। भू–राजस्व (लगान) में भी कृषि से राज्य सरकार को काफी आय प्राप्त होती है।

वार्षिक कार्यकारी योजनान्तर्गत उपलब्धि

बैंक द्वारा वार्षिक कार्य योजनान्तर्गत प्रति वर्ष सीधी जिले हेतु अपने ऋण वितरण लक्ष्य की स्वीकृति दी जाती है एवं तदानुसार उसकी पूर्ति भी की जाती है।

ऋण नीति एवं कृषि कार्य हेतु प्राप्त ऋणों की वर्तमान स्थिति

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कृषि के विकास के लिए निम्नलिखित रूप से कार्य कर रहे है, ये बैंक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि ऋण प्रदान करते है।

प्रत्यक्ष कृषि ऋण

यह ऋण इन बैंको द्वारा सीधे ही कृषक को कृषि कार्यो हेतु दिया जाता है।

अप्रत्यक्ष कृषि ऋण

ये ऋण बैंक द्वारा कृषक को न देकर किसी संस्था के माध्यम से अथवा किसी अन्य इकाई, फर्म, व्यक्ति आदि के कृषि कार्यो में लगने वाले निवेशों, कृषि उपकरणों, यंत्रों आदि के निर्माण, भण्डारण कर, विक्री करने इत्यादि कार्यो को दिया जाता है। कृषक सेवा सहकारी समिति या अन्य किसी समिति, संस्था के माध्यम से कृषि कार्य हेतु दिये गये ऋण भी इसी वर्ग के अन्तर्गत आते है। खाद विक्रेताओं कृषि सेवा केन्द्रों को दिये गए ऋण भी इसके तहत आते है।

निष्कर्ष

अल्पकालीन कृषि ऋण बैंक साधारणतया एक वर्ष के अन्दर देय निम्नांकित कृषि कार्यों के लिए दिये गये ऋण इस श्रेणी के तहत वर्गीकृत करते है। बीज, खाद, उर्वरक, कीटनाशक, फफूंद नाशक

आदि क्रय करने हेतु, खेत की तैयारी, गुड़ाई, सिंचाई, कटाई, गहाई इत्यादि हेतु फसल ऋण के रूप में किसानों को प्रदान किये जाते है।

मध्यकालीन कृषि ऋण – बैंक इसे कृषि सावधि ऋण के अन्तर्गत वर्गीकृत करते हैं। बैंक द्वारा यह ऋण कृषकों को कृषि कार्य के लिए लम्बे समय हेतु दिया जाता है। इनमें से कुछ निम्नलिखित है– भूमि सुधार, कूप निर्माण लघु सिंचाई योजनान्तर्गत, नलकूप निर्माण हेतु ऋण, भैस गाड़ी क्रय हेतु, थ्रेसर, गोबर गैस प्लांट, रहट उन्नत कृषि यंत्रों, उपकरणों के क्रय हेतु, पुराने कुओं के जीर्णोद्वार हेतु ऋण, बैल–भैस क्रय हेतु ऋण, दुधारू पशु क्रय हेतु ऋण, दुग्ध व्यवसाय हेतु ऋण, पशुशाला, चारागाह आदि हेतु ऋण, बकरी, भेड़ पालन हेतु ऋण, मुर्गीपालन हेतु ऋण, सुअर व्यवसाय विकास हेतु ऋण और मत्स्य पालन हेतु ऋण आदि कार्यो हेतु मध्यकालीन ऋण प्रदान किये जाते है। इन क्षेत्रों में विकास हेतु क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एक साधन के रूप में कार्यरत है, जो ग्रामीण स्तर पर सघन विकास का प्रयास कर रहे है।

सन्दर्भ

1. सिन्हा, वी.सी. एवं सिन्हा, पुष्पा – आर्थिक विकास एवं नियोजन।
2. सिन्हा, वी.सी. – मुद्रा एवं बैकिंग।
3. जैन, पी.सी. – भारतीय कृषि की समस्याएँ।
4. मिश्र, आर.पी. एण्ड सुन्दरम् – रूरल एरिया डेव्लपमंट प्रेस एण्ड एप्रोचेज, 1979।
5. जोशी, पूरनचन्द्र – भारतीय ग्रामों का संस्थानिक परिवर्तन एवं आर्थिक विकास, राजकमल प्रकाशन, 1996।
6. ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम – ग्रामीण विकास विभाग, कृषि मंत्रालय दिसम्बर 1985।
7. कुमार, बी. प्लानिंग पावर्टी एण्ड इकोनामिक डेवलपमेंट, नई दिल्ली, दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन 1984।
8. कृषि कार्यक्रम प्रगति समीक्षा पुस्तिका – कृषि विभाग, जिला सीधी 1993–94।
9. जिला सांख्यिकीय पुस्तिका – जिला सांख्यिकीय कार्यालय सीधी।
10. अग्निहोत्री, रामप्यारे – सीधी जिले का परिचय।